

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सहरसा (बिहार)

(Govt. College of Teacher Education (CTE), Saharsa)

Website :- www.ctesaharsa.in/ www.gttcsaharsa.in

Email id :- ctesaharsa@gmail.com

Letter No.....

Date...../...../ 2016

कार्यालय-आदेश

विभागीय संकल्प संख्या 232, दिनांक- 15.06.2016 एवं निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 238, दिनांक- 21.06.2016 के निदेशालोक में आज दिनांक- 29.07.2016 के अपराह्न 03:00 वजे आहूत बी. एड. नामांकन चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आरक्षण रोस्टर बिन्दु के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2016-18 के अधीन बी. एड. पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए 100 (एक सौ) अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जा रही है।

सूची में चयनित अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे निम्नांकित शर्तों के साथ यथा निर्धारित तिथि तक नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे:-

01. सभी प्रमाण-पत्र एवं सम्बद्ध कागजात यथा-माध्यमिक कक्षा से स्नातक/स्नातकोत्तर तक के अंक-पत्र, अंतिम कक्षा जहाँ से पूरी की गई हो उस संस्थान द्वारा निर्गत CLC/DLC, STET/TET (6- 8) प्रमाण-पत्र, नियोजन-पत्र, योगदान-पत्र, विरमण-पत्र, सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति-पत्र, प्रशिक्षण के पश्चात पाँच वर्षों तक शिक्षण कार्य सम्पादित करने अथवा प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त किये गये वेतन-भत्तादि को सरकारी कोष में जमा करने से सम्बन्धित बन्ध पत्र (BOND) तथा अन्यान्य सभी की मूलप्रति एवं तीन-तीन छायाप्रति एक ही श्रेणी क्रम में सज्जित कर अभ्यर्थी नामांकन के समय साथ लायेंगे।
02. अंतिम चयनित मेधा सूची जो आज दिनांक 29.07'2016 को प्रकाशित की जा रही है, में शामिल अभ्यर्थी दिनांक 06.08.2016 से 08.08.2016 के पाँच वजे तक अपना नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् उनका नामांकन का दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा। आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण-पत्र की मूल एवं छायाप्रति साथ लायेंगे। सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए भी निवास प्रमाण-पत्र/वोटर आई डी लाना अपेक्षित होगा।
03. महाविद्यालय के किसी नियम/अनुशासन का अनुपालन नहीं करने अथवा महाविद्यालय में आदर्श अध्यापक के अनुरूप आचरण व्यवहार नहीं करने पर महाविद्यालय प्रशासन आपका नामांकन रद्द करने में स्वतंत्र होगा।
04. तीन प्रति पासपोर्ट साईज की रंगीन तस्वीर।
05. यदि बी. एन. एम. यू. मधेपुरा के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी हैं और प्रव्रजन प्रमाण पत्र (MIGRATION) उपलब्ध हो तो साथ लाना श्रेयष्कर होगा। यदि नहीं तो नामांकन के पश्चात 10 दिनों के अन्दर Migration जमा करना उनके लिए अनिवार्य होगा अन्यथा विश्वविद्यालय विलम्ब दण्ड सहित पंजीयन हेतु वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
06. नामांकन के समय अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष के शुल्क के रूप में सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी रूपये 12500/- एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी रूपये 4900/- का किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का बैंक ड्रफ्ट, जो प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सहरसा अथवा PRINCIPAL, CTE, SAHARSA के पदनाम से निर्गत एवं सहरसा में भुगतये हो, लाना अनिवार्य होगा।
07. LAST CLASS ATTENDED INSTITION द्वारा निर्गत CLC/DLC एवं विद्यालय प्रधान द्वारा निर्गत विरमण प्रमाण-पत्र के बिना नामांकन संभव नहीं होगा।
08. अभ्यर्थी को नॉटरी पब्लिक द्वारा निर्गत एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह अंकित रहेगा कि:-

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण-पत्र एवं कागजात पूर्णतः सही हैं। उनमें किसी प्रकार की असत्यता अथवा मिथ्या मुद्रण हेतु मैं (अभ्यर्थी) स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी।

- II. (गैर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए) मैं किसी भी सरकारी अथवा निजी संस्थान में कार्य नहीं करता हूँ और न हीं वहाँ से किसी प्रकार का वेतन या मानदेय प्राप्त करता/करती हूँ।
- III. मैं विभागीय निदेशालोक में कुल कार्यदिवस का कम-से-कम 80% उपस्थिति पूरी करूँगा और किसी भी स्थिति में 08 (आठ) दिनों से अधिक निरन्तर अनुपस्थित नहीं रहूँगा/रहूँगी।
- IV. उक्त शर्तों अथवा महाविद्यालय के किसी नियम/अनुशासन का अनुपालन नहीं करने अथवा महाविद्यालय में आदर्श अध्यापक के अनुरूप आचरण-व्यवहार नहीं करने पर महाविद्यालय प्रशासन मेरा नामांकन रद्द करने में स्वतंत्र होगा।
09. 100 अभ्यर्थियों के लिए प्रकाशित इस अंतिम सूची (FINAL LIST) के अतिरिक्त TET एवं STET दोनों श्रेणियों के लिए कोटिवार प्रथम प्रतीक्षा सूची (WAITING LIST) भी प्रकाशित की जा रही है। जिसमें शामिल प्रथम 50% अर्थात् आधे अभ्यर्थियों को सभी कागजातों एवं बैंक ड्राफ्ट के साथ दिनांक 09.08.2016 एवं अंतिम 50% (आधे) अभ्यर्थियों को दिनांक 12.08.2016 को सभी प्रमाण-पत्रों एवं बैंक ड्राफ्ट के साथ Counselling के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी मात्र विरमण-पत्र नहीं लायेंगे।

यदि रिक्तियाँ उपलब्ध रहेंगी तो Waiting List से क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु उनका सारा कागजात (ड्राफ्ट सहित) कार्यालय में रख लिया जायेगा और विद्यालय प्रधान से विरमण पत्र लाने हेतु उन्हें मात्र एक दिन का समय दिया जायेगा।

10. Waiting List के अभ्यर्थियों का रिक्तियों के अभाव में नामांकन नहीं होने की स्थिति में उनके आवागमन-व्यय एवं बैंक ड्राफ्ट रद्द करवाने में हुई क्षति के लिए महाविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
11. 100 अभ्यर्थियों के लिए प्रकाशित यह FINAL LIST अथवा Waiting list के किसी भी अभ्यर्थियों को डाक के जरिये कोई सूचना नहीं दी जायेगी। अतः वे महाविद्यालय के सूचनापट्ट, वेबसाइट, अपना ई-मेल और SMS का निरन्तर अवलोकन करते रहेंगे। आवश्यकतानुसार चयनित अभ्यर्थियों को Voice Call भी किया जायेगा। अभ्यर्थी का मोबाइल स्वीच ऑफ रहने अथवा उनके द्वारा वेबसाइट का अवलोकन नहीं करने की स्थिति में नामांकन से वंचित रहजाने के लिए चयनित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. किसी भी सूची में किसी प्रकार की भूल दृष्टिचूक के कारण होने पर प्राचार्य उसमें संशोधन के लिए सक्षम होंगे।
13. चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध चयन-सूची एवं इस पत्र की डाउनलोड की हुई प्रति संलग्न कर अपने विद्यालय प्रधान/सम्बन्धित पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर नामांकन के पूर्व विरमित होना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि विरमण-पत्र के बिना नामांकन संभव नहीं हो पायेगा।
14. सभी सम्बन्धित विद्यालय-प्रधान, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं नियोजन ईकाईयों से अनुरोध है कि वे उक्त उल्लिखित विभागीय पत्रों के निदेशालोक में चयनित अभ्यर्थियों को ससमय विरमित कर नामांकन में सहयोग करने की कृपा करेंगे।
15. नामांकन हेतु चयनित अथवा Counselling में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी अपनी शालीनता एवं मृदुल व्यवहार से महाविद्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों को नामांकन-कार्य में सहयोग करेंगे और अपनी बारी आने तक वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे।

६१-

प्राचार्य,
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
सहरसा

ज्ञापांक- 165

सहरसा, दिनांक 29 / 07 / 2016

प्रतिलिपि- सभी नियोजन इकाई के कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/ प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/ विद्यालय प्रधान एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्राचार्य,
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
सहरसा
29/07/16

